तारीख हुक्म	सुरेन्द्र बनाम जगदीश वगै. हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मुक. - 145/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16.12.2022	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/12/22 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.12.28 12:33:54 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण सं.–145/2021 **जीसीएमएस नं0:– 253/2021**

दायर दिनांक:– 23.12.2021 **निर्णय दिनांक:– 16.12.2022**

उनवान प्रकरण

सुरेन्द्रसिंह मावल पुत्र शिवबक्सराम मावल उम्र 55 साल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 34 शेखपुरा मौहल्ला सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान

––वादी

बनाम्

1. जगदीश प्रसाद पुत्र जोरमल जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 24 दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3. शिम्भूदयाल पुत्र प्रहलाद सहाय जाति मीणा निवासी अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादीगण

उपस्थित:–
श्री भंवर सिंह चौधरी एड0 वादी अभिभाषक
सरकारी पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादीगण संख्या 2,

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड
अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रक[illegible]ादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्[illegible] 571/1 क्षेत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक तन् ग्राम अजमेरी पटवार [illegible]ा खटकड भू0 अभि0 नि0

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान भू–अभिलेख जमाबंदी मे वादी व उसके भाई महेन्दसिंह मावल पुत्र शिवबक्सराम के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 508/1 क्षैत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड भू0 अभि0 नि0 सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर है। भूमि खसरा नम्बर 571/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 किस्म बारानी तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड भू0 अभि0 नि0 सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान भू–अभिलेख जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्ब्र 508/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 तन ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर है। उक्त भूमि संपरिवर्तन शुद्धा भूमि वर्णित वर्तमान खसरा नम्बर 571/1 क्षेत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक (पुराने खसरा नम्बर 508/1 क्षेत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक) तक पहुंच मार्ग के काम मे आने एवं रोड सीमा में 25 मीटर छोडी हुई भूमि है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 571/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 वादी व उसके भाई की खातेदारी व कब्जा शुदा एवं संपरिवर्तन शुद्धा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 571/1 क्षेत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक (पुराने खसरा नम्ब्र 508/1 क्षेत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक) तक पहुंच मार्ग के काम मे आने एवं रोड सीमा में 25 मीटर छोडी हुई भूमि है एंव उक्त भूमि वादी व उसके भाई की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 571/1 क्षैत्रफल 0.3200 है0 में आने जाने की रास्ता एवं रोड सीमा की भूमि है। इसलिए उक्त भूमि खसरा नम्बर 571/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रास्ता व सड़क सीमा की भूमि दर्ज की जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। भूमि पुराने खसरा नम्बर 508 का संपरिवर्तन औद्योगिक प्रयोजनार्थ करवाया गया था। जिस पर उक्त भूमि में भूमि खसरा नम्बर 508/1 क्षैत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गयी थी एवं उक्त संपरिवर्तन शुद्धा भूमि में पहुंच मार्ग के काम में आने के लिये [illegible] सीमा की भूमि खसरा नम्बर 508/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 ([illegible]/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0) छोडी हुई भूमि है परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 ने उक्त [illegible]मि का बेचान गलत तरीके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

16/12/22

दिलीप सिंह
[illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

से शिम्भूदयाल पुत्र प्रहलादसहाय जाति मीणा निवासी अजमेरी को कर दिया गया एवं उक्त भूमि का गलत रूप से नामांतरकरण संख्या–1418 दिनांक 14.10.2010 तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा शिम्भूदयाल पुत्र प्रहलाद सहाय जाति मीणा के नाम भरा जाकर तस्दीक कर दिया गया। जिसकी बाबत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या–1416 दिनांक 14.10.2020 उनवानी सुरेन्द्रसिंह मावल बनाम जगदीश प्रसाद वगै0 अपील संख्या–87/2017 प्रस्तुत की गयी। जिसमें विधिवत सुनवाई फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 25.09.2019 पारित फरमाया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या–1416 में वर्णित खसरा नम्बर 508/2 रकबा 0.07 है0 की हद तक निरस्त फरमाया गया है। इसलिए उक्त पुराने भूमि खसरा नम्बर 508/2 रकबा 0.07 है., वर्तमान खसरा नम्बर 571/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रास्ता व सडक सीमा की भूमि दर्ज की जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या–1 ने वादी व उसके भाई महेन्द्रसिंह मावल को जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांक 03.12.2010 के आधार पर भूमि पुराने खसरा नम्बर 508/1 क्षैत्रफल 0.3200 है0 (वर्तमान खसरा नम्बर 571/1 क्षैत्रफल 0.3200 है0 औद्योगिक) का बेचान विधि सम्मत तरीके से किया गया था एवं उक्त भूमि का वादी व उसका भाई खातेदार होकर एवं काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है एवं उक्त संपरिवर्तन शुद्धा भूमि में पहुंच मार्ग के काम में आने के लिये एवं रोड सीमा की भूमि खसरा नम्बर 508/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 (वर्तमान खसरा नम्बर 571/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0) छोडी हुई भूमि है। जो रास्ता व सड़क सीमा के उपयोग उपभोग के काम आ रही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 को उक्त भूमि खसरा नम्बर 571/2 क्षैत्रफल 0.0700 है0 को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रास्ता व सडक सीमा की भूमि दर्ज करवाने एवं दुरूस्ती करवाने हेतु कहा तो दिनांक 15.09.2021 को इंकार हो गया। जिस पर वादी ने भूमिधारी तहसीलदार को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रास्ता व सडक सीमा की भूमि दर्ज की जाकर दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो अदालत में दावा प्रस्तुत करने हेतु कहा जाने पर अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

16/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

करना आवश्यक हुआ है। वादी ने उक्त वाद बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण के दावा न्यायालय में पेश किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एंव प्रतिवादी संख्या 2 की तामील साधारण तरीके से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी का एंव साक्ष्य वादी गवाहान् में चन्द्रगुप्त शर्मा के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जाने पर प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस प्रकरण में खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.0700 हैक्टर तन् ग्राम अजमेरी के मूल खातेदार शिम्भूदयाल पुत्र प्रहलाद सहाय मीणा निवासी अजमेरी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने पर उक्त खातेदार को प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिस्थापित किया गया। जिस पर प्रतिवादी नं. 3 ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण मे अंकित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.0700 है0 किस्म बारानी अवस्थित तन ग्राम अजमेरी पटवारी हल्का खटकड़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी वर्तमान में जमाबंदी संवत 2074-79 में जगदीश प्रसाद पुत्र जोरमल हिस्सा संपूर्ण जाति मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसको प्रार्थी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय लेख से क्रय की जाने पर नामांतरण संख्या 199 तस्दीक किया गया है। खसरा नम्बर पुराने 508 रकबा 0.39 है0 में से रोड़ के मध्य से 25 मी0 छोडते हुए रकबा 0.32 है0 अर्थात 3200 वर्ग मीटर भूमि का संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन दिनांक 14.09.2010 को किया गया था तथा उक्त रकबे में शेष बची भूमि 0.07 है0 भूमि [illegible] खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.07 है0 दर्ज रहे हैं। उक्त [illegible] 14.09.2010 के आधार पर भरे गए। नामांतरण संख्या 1416 तस्दीक दिनांक 14.[illegible].2010 के विरूद्ध एक अपील संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

16/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

87/2017 उनवानी सुरेन्द्र सिंह भावत बनाम जगदीश प्रसाद वगै० माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर मे दायर की गई थी। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.09.2019 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक नामांतरण संख्या 1416 मे वर्णित खसरा नम्बर 508/2 रकबा 0.07 है० की हद तक निरस्त किया जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया गया है कि उक्त संपरिवर्तन आदेश के नियमों में सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील/आवेदन पेश कर वांछित संशोधन कराने और पहुंच मार्ग के संबंध मे निर्णय कराने हेतु निर्देशित किया है तथा उक्त संशोधन के उपरांत तहसीलदार नीमकाथाना सक्षम न्यायालय द्वारा पारित संशोधित संपरिवर्तित आदेश के मध्यनजर रखते हुए नामांतरण के संबंध में पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.07 है० किस्म बारानी अवस्थित तन ग्राम अजमेरी की खातेदारी से मेरा नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि को रास्ते व सडक सीमा की भूमि घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रास्ता व सडक सीमा की सार्वजनिक भूमि दर्ज की जाती है, तो प्रार्थी शम्भूदयाल पुत्र प्रहलाद सहाय जाति मीणा निवासी अजमेरी ने उक्तानुसार रकबा 0.07 है० भूमि से मेरी खातेदारी हजफ की जाकर राज्य सरकार के नाम गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज की जाती हैं तो कोई आपत्ति नहीं होने बाबत अवगत कराया गया।

प्रकरण में वकील वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा जवाब दावा पेश कर भूमि खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.07 है० किस्म बारानी अवस्थित तन ग्राम अजमेरी की खातेदारी से नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि को रास्ते व सडक सीमा की भूमि घोषित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दिये जाने वकील वादी ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर वादपत्र का अ[illegible]न [illegible]ारण किये जाने का निवेदन किया गया।

16/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2079, खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी, उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा जारी सम्परिवर्तन आदेश, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर की अपील पत्रावली संख्या 87/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2019 की नकल, नामान्तकरण संख्या 1416 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी की खातेदारी जगदीश प्रसाद पुत्र जोरमल जाति मीणा सा. दांता के नाम होना तथा उक्त खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख श्री शिम्भूदयाल पुत्र प्रहलाद सहाय जाति मीणा निवासी अजमेरी तहसील श्रीमाधोपुर के पक्ष में विक्रय लेख तस्दीक किया जाना रिकार्ड से प्रकट होता है तथा उक्त भूमि पूर्व में पुराने खसरा नम्बर 508 रकबा 0.39 हैक्टर में से रोड़ के मध्य से 25 मीटर छोड़ते हुए 0.32 हैक्टर अर्थात 3200 वर्गमीटर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के द्वारा किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त पुराने भूमि खसरा नम्बर का नवीन खसरा नम्बर 571/1 रकबा 0.32 हैक्टर औद्योगिक व खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी 1 के रूप में बनना पाया जाना रिकार्ड से प्रकट होता है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के द्वारा किये गये औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश के दौरान रोड़ सीमा में आने वाली भूमि का होना प्रकट होता है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड से हजफ की जाकर उक्त भूमि को सार्वजनिक ... में रास्ता व सड़क सीमा की भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

16/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम अजमेरी पटवार हल्का खटकड़ भू.अ.नि. सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 571/2 रकबा 0.0700 हैक्टर को रास्ता व सड़क सीमा की भूमि घोषित की जाती है तथा राजस्व रिकार्ड से खातेदारी हजफ की जाकर उक्त भूमि को गै0 मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)